भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2518

सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

कृषि मजदूरों की सहायता के लिए योजना

2518. **श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि श्रमिकों को दुर्घटना की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो दादरा और नागर हवेली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि उपलब्ध कराती है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का वर्षवार, योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 में अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्र सरकार द्वारा जीवन एवं नि:शक्तता कवर, स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर कृषि कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने का उपबंध है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) प्रत्येक पात्र परिवार को द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। भारत सरकार ने हाल ही में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) के विस्तार को मंज़ूरी दी है।

जारी..2/--

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) कृषि श्रमिकों सहित सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। पीएमएसबीवाई दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या नि:शक्तता से सुरक्षा प्रदान करता है। पीएमजेजेबीवाई किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए बीमा कवर प्रदान करता है। अब तक दिनांक 02.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, लगभग 51.85 करोड़ लाभार्थी पीएमएसबीवाई के अंतर्गत नामांकित हैं और लाभार्थियों को 3,203.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है; पीएमजेजेबीवाई में लगभग 24.05 करोड़ लाभार्थी नामांकित हैं और लाभार्थियों को 18,956.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकन के ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें कृषि श्रमिकों सहित कामगारों के कल्याण हेतु भी योजनाएँ चलाती हैं। बजट आवंटन और व्यय, संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार होते हैं।
**

*****

अनुबंध I

दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2518 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकन</u>

क्रम सख्या	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम**	**02.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत संचयी नामांकन**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	89,012
2	आंध्र प्रदेश	3,27,69,419
3	अरुणाचल प्रदेश	2,59,364
4	असम	52,54,664
5	बिहार	1,80,79,757
6	चंडीगढ़	1,52,134
7	छतीसगढ	79,71,016
8	दादरा और नगर हवेली	1,51,757
9	दिल्ली	24,87,329
10	गोवा	3,61,404
11	गुजरात	95,39,570
12	हरियाणा	49,18,336
13	हिमाचल प्रदेश	12,43,868
14	जम्मू और कश्मीर	10,84,520
15	झारखंड	79,69,391
16	कर्नाटक	1,54,46,146
17	केरल	41,67,023
18	लद्दाख	36,910
19	लक्षद्वीप	6,332
20	मध्य प्रदेश	1,50,31,832
21	महाराष्ट्र	1,72,42,118
22	मणिपुर	3,90,127
23	मेघालय	5,66,698
24	मिजोरम	3,67,210
25	नागालैंड	2,28,280
26	ओडिशा	1,08,09,636
27	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	2,48,465
28	पंजाब	47,12,340
29	राजस्थान	1,39,20,285
30	सिक्किम	1,51,156
31	तमिलनाडु	1,05,71,836
32	तेलंगाना	83,78,365
33	त्रिपुरा	5,61,996
34	उतर प्रदेश	2,98,82,248
35	उत्तराखंड	17,14,524
36	पश्चिम बंगाल	1,37,47,596
देश की कुल संख्या		**24,05,12,664**

स्रोत: सार्वभौमिक योजनाओं के लिए बैंक और अभिसरित योजनाओं के लिए बीमा कंपनियां।

**अन्य में अभिसरित योजनाओं, ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का नामांकन शामिल है, जिनके लिए महिला-पुरूष वार विभाजन उपलब्ध नहीं है।*

अनुबंध-II

दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2518 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमएसबीवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकन

क्रम सख्या	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम**	**02.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार पीएमएसबीवाई के अंतर्गत संचयी नामांकन**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1,73,716
2	आंध्र प्रदेश	5,50,95,577
3	अरुणाचल प्रदेश	4,61,587
4	असम	1,33,62,891
5	बिहार	3,51,42,197
6	चंडीगढ़	4,44,835
7	छत्तीसगढ	1,64,02,714
8	दादरा और नगर हवेली	2,81,363
9	दिल्ली	64,64,961
10	गोवा	7,64,008
11	गुजरात	2,01,45,065
12	हरियाणा	1,14,52,983
13	हिमाचल प्रदेश	31,12,487
14	जम्मू और कश्मीर	23,76,790
15	झारखंड	1,47,25,575
16	कर्नाटक	2,38,68,149
17	केरल	1,12,31,804
18	लद्दाख	71,071
19	लक्षद्वीप	29,490
20	मध्य प्रदेश	3,57,39,637
21	महाराष्ट्र	3,84,92,140
22	मणिपुर	6,28,142
23	मेघालय	10,00,316
24	मिजोरम	5,49,879
25	नागालैंड	5,05,857
26	ओडिशा	2,31,27,115
27	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	5,72,789
28	पंजाब	1,31,92,798
29	राजस्थान	2,72,84,203
30	सिक्किम	2,82,753
31	तमिलनाडु	2,59,21,724
32	तेलंगाना	1,79,12,549
33	त्रिपुरा	13,87,329
34	उत्तर प्रदेश	7,65,26,266
35	उत्तराखंड	51,04,261
36	पश्चिम बंगाल	3,46,88,884
	देश की कुल संख्या	**51,85,23,905**

स्रोत: सार्वभौमिक योजनाओं के लिए बैंक और अभिसरित योजनाओं के लिए बीमा कंपनियां।

**अन्य में अभिसरित योजनाओं, ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का नामांकन शामिल है, जिनके लिए महिला-पुरूष वार विभाजन उपलब्ध नहीं है।*